थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभि0गण कामरान व फैजान पुत्रगण गुड्डू निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ सम्बन्धित मु0अ0सं0 204/2023 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट में सम्पत्ति जब्तीकरण अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुल 6,40,000/- ( छः लाख चालीस हजार रूपये )की सम्पत्ति जब्त की गयी।

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बदायूँ के आदेश पत्रांक पत्रांक 704(1)/रीडर-डी0एम0 बदायूँ दिनांक 12.03.2024 वाद संख्या 2455/2023 सरकार बनाम कामरान तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पत्रांक वाचक -06/2024 दिनांक 13.03.2024 के अनुपालन मे अभियुक्तगण कामरान व फैजान पुत्रगण गुड्डू निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ सम्बन्धित मु0अ0सं0 204/2023 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट मे अभियुक्त की 14(1) गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

श्री आलोक प्रियदर्शी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बदायूँ के पर्यवेक्षण तथा उपजिलाधिकारी बिसौली, क्षेत्राधिकारी बिसौली, तहसीलदार बिसौली बदायूँ की अध्यक्षता में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अभियुक्तगण कामरान व फैजान पुत्रगण गुड्डू निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ सम्बन्धित मु0अ0सं0 204/2023 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट की कीमत 6,40,000/- ( छः लाख चालीस हजार रूपये) की अचल सम्पत्ति (मकान) अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी । अभियुक्त उपरोक्त द्वारा वर्ष 2021 में अपने साथियों के साथ मिलकर गौवंश का वध कर उनका माँस का क्रय-विक्रय किया गया था जिस सम्बन्ध मे वर्ष 2021 मे मु0अ0सं0 259/2021 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। जिसमे अभियुक्तग को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर जिला कारागार बदायूँ मे निरुद्ध कराया गया। उसके उपरान्त अभियुक्तग के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही कर उनकी सम्पत्ति जब्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित की गयी। जिस पर श्रीमान जिला अधिकारी महोदय बदायूँ द्वारा अभियुक्तगण कामरान व फैजान उपरोक्त की अवैध तरीके से एकत्रित की गयी सम्पत्ति जिसकी कीमत 6,40,000/- (छः लाख चालीस हजार रुपये ) है को राज्य सरकार के पक्ष मे जब्त करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन मे अभियुक्तगण कामरान व फैजान पुत्रगण गुड्डू निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ की सम्पत्ति आज दिनांक 12.04.2024 को ग्राम वासियो, ग्राम प्रधान व गवाहो के समक्ष मुनादी कर राज्य सरकार के पक्ष मे जब्त कर सील की गयी।

सोशल मीडिया सेल जनपद बदायूं।